

राजस्थान सरकार

**न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
ओसियां**

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:— 118/2019

वादी:— धनसिंह पुत्र श्री जोगसिंह, जाति राजपूत निवासी मीनों की ढाणी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:—

1. भंवरसिंह पुत्र श्री भोमसिंह
 2. रेवतसिंह पुत्र श्री भोमसिंह
 3. भंवरसिंह पुत्र श्री जोगसिंह
 - 3/1 गजेसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
 - 3/2 भेरूसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
 - 3/3 जसुकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह
 4. सोनसिंह पुत्र श्री जोगसिंह
 5. सुल्तानसिंह पुत्र श्री जोगसिंह
 6. जेटूसिंह पुत्र श्री जोगसिंह
 7. पदमसिंह पुत्र श्री जोगसिंह
- सभी जातियान राजपूत निवासी मीनों की ढाणी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम

उपस्थित —

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पेंपसिंह भाटी।
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के विरुद्ध एकपक्षीय।
प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से सरकारी पैरोकार।

—:निर्णय:—



दिनांक: 26/2/2020

(Signature)
सहायक कलक्टर, ओसियां

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि— ग्राम एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी व ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 1181 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1190 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में वादी का $1/2$ में $1/6$ यानि सम्पूर्ण का $1/12$ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का $1/2$ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का $1/2$ में $5/6$ हिस्सा यानि सम्पूर्ण का $5/12$ हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181 व 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा में वादी का $1/6$ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का संयुक्त रूप से $5/6$ हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार है। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से आवागमन हेतु रास्ता छोड़ते हुए विभाजन किया हुआ है। वादी का ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में $1/12$ हिस्सा रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा व ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181, 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा भूमि में $1/6$ हिस्सा रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा है। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से में कुल 16 बीघा 09 बिस्वा भूमि आती है। जो आपसी विभाजन के समय ग्राम एकलखोरी की खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में हक हिस्सा रखा गया जो वादी का $329/2616$ वां हिस्सा प्रभावित रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा रखा गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का $979/2616$ हिस्सा प्रभावित रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का $1/2$ हिस्सा प्रभावित रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा बनता है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। ग्राम मीनों की ढाणी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1181 व 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का हक हिस्सा रखा गया जिसमें वादी का कोई हक हिस्सा नहीं रखा गया। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे हैं, नजरी नक्शा संलग्न है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 में आपसी बंटवाड़े



(Handwritten signature)
 अधिकारी, आपसी विभाजन

अनुसार अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में सन् 2011 से नलकूप खुदाकर विद्युतिकृत करवाकर सिंचित फसलें पैदा की जा रही है, इसी अनुसार वादी अपना हक हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है परन्तु मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से किये गये विभाजन व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने तथा विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण वादी को तरह-तरह के बहाने बताते रहे जिसे वादी हकीकत समझता रहा। अभी हाल ही में दिनांक 25.09.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण को पूर्व में किये गये आपसी विभाजन व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को मौके से बेदखली की एलानिया धमकी दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को तंग परेशान करने की नियत से दावा व प्रार्थना पत्र भंवरसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा सन् 2012 से पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार है तथा वादी द्वारा उस वाद में जवाब दावा व क्रॉस सुट प्रस्तुत कर अपना हक हिस्सा घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में विभाजन करने का निवेदन किया गया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व में पेश किये गये दावे की आड़ में वादी को तंग व परेशान कर रहे है। दावे अनुसार पत्रावली नहीं चलाना चाहते है न ही आपसी स्वतंत्र सहमति से विभाजन करवाना चाहते है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर कणा माठ कायम किये हुए है तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा एक दुसरे के आने जाने के लिये सामलाती रास्ते छोड़ रखे है तथा वादी का अपने हक हिस्से की भूमि में विद्युतीकृत नलकूप खुदवा हुआ है जो चालु हालत में है। बिनाय दावा दिनांक 25.09.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण को पूर्व में किये गये आपसी विभाजन व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को मौके से बेदखली की एलानिया धमकी देने

पर बमुकाम ग्राम एकलखोरी व मीनों की ढाणी में उत्पन्न हुआ। वाद वादी



दिनांक 25.09.2019, भोपाल

स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में 1/12 हिस्सा रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा व ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181, 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा भूमि में 1/6 हिस्सा रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा है। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से में कुल 16 बीघा 09 बिस्वा भूमि आती है। जो आपसी सहमति से विभाजन के समय ग्राम एकलखोरी की खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में हक हिस्सा रखा गया जो वादी का 329/2616वां हिस्सा प्रभावित रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा रखा गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 979/2616 हिस्सा प्रभावित रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा प्रभावित रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा बनता है। इसलिए वादी को ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में 329/2616 हिस्सा प्रभावित रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमावें तथा वादी का हक हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार व आवागमन हेतु रास्ता रखते हुए विभाजन किया जाकर अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें तथा ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181 व 1190 के राजस्व रेकर्ड से वादी का नाम हटाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

वादी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन बार रूक-रूक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं उपस्थित होकर बेटुका, निराधार दावे का बिना खण्डन किये जवाब दावा व शपथ पत्र को बिना तस्दीक करवाये पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या



बहायक क्लर्क, बठिण्डा

7 ने किसी प्रकार के कोई दस्तावेज व क्रोस दावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 तारीख पेशी 25.02.2020 को उपस्थित होकर मौके पर कब्जा काशत व हक हिस्से अनुसार विभाजन की सहमति जताई तथा सहमति के रूप में आदेशिका में हस्ताक्षर किये तथा आगामी तारीख 26.02.2020 रखी गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 अनुपस्थित रहा। जिसको न्यायालय समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगाई गईं लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपने-अपने मौके पर कब्जे काशत व हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा कर विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी करवाने पर सहमत हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब देना नहीं चाहा। इस पत्रावली में समायोजित वाद संख्या 208/2012 भंवरसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा अनुसार विभाजन चाहा उक्त पत्रावली 118/2019 धनसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा के साथ पत्रावली संख्या 208/2012 भंवरसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा समायोजित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में 1/12 हिस्सा प्रभावित रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा व ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181, 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा में 1/6 हिस्सा प्रभावित रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा है इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से में कुल रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा भूमि आती है। पत्रावली के अवलोकन से जो आपसी सहमति से विभाजन के समय ग्राम एकलखोरी के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में हक हिस्सा रखा गया जिससे वादी का 329/2616 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 979/2616 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा, वादी को ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 1181/1190 कुल रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा में मिलने वाला हिस्सा ग्राम एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा में हक मिल जाने से वादी का ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 1181 व 1190 से नाम हटाया जावे वादी का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने-अपने हक हिस्से की मौके पर




(Handwritten signature)
 14/02/2020, बिकानेर

कब्जे काशत अनुसार खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है तथा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवाड़ा करवाना चाहते है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।


—:आदेश:-

अतः वादी का वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम एकलखोरी, पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 758 रकबा 130 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादी को 329/2616 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 को 979/2616 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 1181 व 1190 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा के प्रतिवादी संख्या 3 से 7 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार ओसियां व तहसीलदार तिंवरी को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 26/2/2020 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां